न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 85/2018 2018/00492

1. रामस्वरूप पुत्र पाचुराम
2. लीलाराम पुत्र पाचूराम
3. सजना पुत्री पाचूराम
4. सुन्दरी पत्नी पाचूराम
5. साधुराम पुत्र पन्ना
6. सीताराम पुत्र मोती
7. राकेश पुत्र मोती
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र सुल्तान
9. सन्ती पत्नी हरिराम
10. मेहरसिंह पुत्र हरिराम
11. मुकेश पुत्र हरिराम
12. विक्रम पुत्र हरिराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नागडी वास तह. कोटपूतली हाल आबाद ग्राम जाहिदपुरा तह0 कोटपूतली।

— — — प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभु पुत्र चुन्ना (फौत)

1/1 नारायणी पत्नी प्रभू
1/2 रोशन पुत्र प्रभू
1/3 रोताश पुत्र प्रभू
1/4 बाबुलाल पुत्र प्रभू
1/5 कमलेश पुत्र प्रभू

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नांगडीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल आबाद ग्राम जाहिदपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

1/6 मूर्ति पुत्री प्रभु पत्नी हुकूम
1/7 कृष्णा पुत्री प्रभू पत्नी पप्पू

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

2. प्रहलाद पुत्र चुन्ना
3. ख्याली पुत्र चुन्ना

4. हजारी पुत्र चुन्ना
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नागंडी वास तह0 कोटपूतली हाल आबाद ग्राम जाहिदपुरा तह0 कोटपूतली।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कोटपूतली।
6. प्रबंधक यूको बैंक शाखा कोटपूतली।

— — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय **दिनांक :—28.11.2019**

संक्षेप में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का पेश किया है कि आराजी साबिक ख0नं0 133 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा वाके मौजा जाहिदपुरा तह0 कोटपूतली जिसके पास ख0नं0 208, 209 वाके मौजा जाहिदपुरा बने है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया के खातेदार काश्तगार प्रार्थीगण एवं उनके बुजुर्गान है एवं बुजुर्गान के समय से उपरोक्त काश्तकार काबिज चले आ रहे है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 133 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा वाके मौजा जाहिदपुरा तह. कोटपूतली जिसके हाल ख0नं0 208, 209 वाके मौजा जाहिदपुरा बने है का साबिक रिकॉर्ड के अनुसार हाल रकबा 1.56 है0 होता है परन्तु वर्तमान सैटलमैन्ट के दौरान आराजी साबिक ख0नं0 133 से बनेक हाल ख0नं0 208, 209 को रकबा क्रमशः 0.01 है0 व 1.06 है0 कुल रकबा 1.07 है0 कर दिया है यानी साबिक रिकार्ड के अनुसार हाल रकबा 0.49 है0 कम कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 की खातेदारी की भूमि आराजी साबिक ख0नं0 127 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 128 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, कुल रकबा 7 बीघा 17 विस्वा वाके मौजा जाहिदपुरा से बने हाल ख0नं0 202 का कुल रकबा 1.96 है0 की बजाय 2.49 है0 यानी 0.53 है0 बढा दिया है।

प्रार्थीगण को सैटलमेन्ट कर्मचारियों की गयी हेरा—फेरी की जानकारी गत माह पटवारी हल्का से जमाबंदी का अवलोकन करने से हुई। प्रार्थीगण ने अनेको बार अप्रार्थीगण उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दौराने सैटलमेन्ट की गयी गलती व लापरवाही को दुरूस्ती कराने हेतु कहा परन्तु उन्होनें ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया। आराजी मुतदाविया एवं फरीकेन आदलत हाजा में निवास करते है एवं स्थित है इसलिए प्रकरण को सुनने व तय करने का अधिकार श्रीमान को हासिल है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी साबिक ख0नं0 133 रकबा 6 बीघा 5 विस्वा वाके मौजा जाहिदपुरा तह0 कोटपूतली जिसके हाल ख0नं0 208, 209 वाके

मौजा जाहिदपुरा का रकबा हाल ख0नं0 209 का रकबा 1.06 है0 की बजाय 1.55 है0 दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 की खातेदारी की भूमि आराजी साबिक ख0नं0 127 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा, 128 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, कुल रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा वाके मौजा जाहिदपुरा से बने हाल ख0नं0 202 का कुल रकबा 2.49 है0 की बजाय 1.96 है0 किया जावे एवं उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार कोटपूतली को लिखा जावें। एवं अन्य कोई अनुतोष न्यायालय श्रीमान प्रार्थीगण के हक में उचित समझे प्रदान की जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गयी। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 की ओर से श्री उमाकान्त भारद्वाज ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 6 की ओर से श्री रिछपाल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 05 तहसीलदार कोटपूतली ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो उनके पत्रांक दिनांक 23.06.2016 के द्वारा प्राप्त की गयी जो शामिल पत्रावली की गयी। रिपोर्ट यह है कि साबिक आराजी ख0नं0 133 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम जाहिदपुरा से 133 मि0 ख0नं0 208/0.01 व 209/1.06 है0 हाल बने है, जो रिकॉर्ड के तथ्य है। बिन्दू सं0 2 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी का है। साबिक ख0नं0 133 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा वाके मौजा जाहिदपुरा के हाल ख0नं0 208/0.01 , 209/1.06 है0 बने है। उक्त खसरा नम्बर मिसल 2037–56 में महकमा कस्टोडियन उपकृषक पन्ना पुत्र रामसुख जाट नि0 नागडी बास राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक मिसल बंदोबस्त 2037–56 में हाल ख0नं0 202 का रकबा 2.49 है0 ग्राम जाहिदपुरा महकमा कस्टोडियन उपकृषक चुन्ना पुत्र रामसुख जाट नि0 नागडी बास राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है। बिन्दू सं0 4 व 5 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। बिन्दू सं0 6, 7, 8, 9 कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मामला रकबा बरारी का है जो बिना मौके की पैमाईश तय किया जाना संभव नहीं है।

अप्रार्थी सं0 01 ने दिनांक 4.10.2016 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रकरण में दरख्वास्त गुजार ने विपक्षीगण की खातेदारी की भूमि के बाबत क्लेम कर अपने नाम दर्ज करने हेतु अनुताष चाहा है। जिसके लिए प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र 136 भू–राजस्व अधिनियम पोषणीय ना होने के आधार निरस्त करने की कृपा करें। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के तथ्य स्वीकार नहीं है। दौराने सैटलमेन्ट स्वयं की खातेदारी की भूमि का हाल राजस्व रिकॉर्ड में रकबा कम किये जाने के कारण रिकॉर्ड दुरूस्ती का

प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 4.10.16 खारिज फरमाया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। दिनांक 02.04.18 को बहस के मनन एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.16 खारिज किया गया।

उक्त आदेश की माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी। जो निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण ने पेश की। जो निगरानी सं0 एलआर/ 2569/2018/जयपुर उनवान रोशन बनाम रामस्वरूप दर्ज की जाकर दिनांक 17.05.2018 को निर्णय किया गया कि प्रकरण में अभी पक्षकरों को सुना जाना है एवं सुनकर के उचित आदेश पारित किया जाना है। इस अंतरिम आदेश से यह नहीं माना जा सकता है कि इससे प्रार्थी के अधिकारों पर कोई विपरीत असर पडता हों। पक्षकारों में मुख्य विवाद यही है कि पूर्व में भूमि किस पक्षकार के पास ज्यादा थी उसके कम कर दिया एवं किस पक्षकार के पास कम थी उसे ज्यादा कर दिया गया। इस संबंध में सभी पक्षकार अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। प्रकरण में पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्णय किया जाना है जिससे ऐसे आदेश को अंतिम नहीं माना जा सकता है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अप्रार्थी सं0 1/2 ने माननीय जिला कलक्टर, जयपुर जिला जयपुर में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र सं0 92/2018 उनवान रोशन बनाम सुरेश कुमार चौधरी उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर पेश की। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्रांक राजस्व कोर्ट/2018/1538—39 दिनांक 02.08.18 की पालना में पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जयपुर के पत्रांक 189 दिनांक 18.10.18 द्वारा इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 18.12.18 को दर्ज रजिस्टर कि जाकर पक्षकारों की सुनवायी में प्रारम्भ की गयी। अप्रार्थीगण के विरूद्ध नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1/1 से 1/7 एवं 2 लगायत 6 की ओर से एडवोकेट लालचन्द जाट ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं0 5 का जवाब प्राप्त हो चुका है। अप्रार्थी सं0 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 25.09.19 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकन किया है कि प्रार्थीगण ने अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में यह कही भी स्पष्ट नहीं किया है कि प्रार्थीगण की तथाकथित रूप से सैटलमेन्ट कार्य के दौरान साबिक रकबे से कम हुई भूमि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 202 का कौनसा व कौनसी दिशा का भाग, कम — बैसी हो गया तथा प्रार्थीगण ने

अपने प्रार्थना में साबिक राजस्व नक्शा किस प्रकार बना हुआ था तथा साबिक नक्शे व हाल नक्शें में क्या कोई अन्तर है व कौनसी दिशा में है कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से व उनकी प्लीडिंग्स से यह कतई स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण से कौनसे प्रावधानों के तहत हमारी भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है जबकि प्रार्थीगण को उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से प्लीडिंग्स में वर्णित करते हुए प्रकरण प्रस्तुत करना आवश्यक था, लेकिन प्रार्थीगण ने ऐसा नहीं करके केवल मात्र कयास लगाते हुए यह कह दिया कि प्रार्थीगण की भूमि कम हो गई, इसलिए अप्रार्थीगण की भूमि हम को दे दी जावे, जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण को पूर्ण रूप से यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि उनकी भूमि का तथाकथित रूप से कौन सा भाग व अंश किस प्रकार से हमारी खातेदारी मे शामिल हो गया, लेकिन प्रार्थीगण ने ऐसा कुछ भी अंकित नहीं किया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र केवल मात्र अनुमान व कयासों के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में यह कतई अंकित नहीं किया है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0नं0 202 में वे किस आधार पर तथाकथित रूप से खातेदारी प्राप्त कर सकते है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि कम करवा सकते है। जबकि विधिक रूप से प्रार्थीगण के लिए समस्त तथ्यों को वर्णित करना आवश्यक था, लेकिन प्रार्थीगण ने बिना किसी अधिकार व बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। हाल मिलान क्षेत्रफल देखने से भी स्पष्ट रूप से साबित है कि हाल ख0नं0 202 का कोई भी भाग व अंश साबिक ख0नं0 133 में शामिल नहीं हुआ है। इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। साबिक ख0नं0 133 के साबिक नक्शें के अनुसार ख0नं0 133 के पश्चिम में साबिक ख0नं0 128 व 129 की भूमि सीधी लाइन में लगती हुई है तथा हाल ख0नं0 202 व 203 की लाईन भी पूर्व की भांति लगभग सीधी है। जिससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि किसी भी प्रकार से कम हुई है तो वह अन्य पडोसियों की खातेदारियों की भूमियों में मिल गई है लेकिन प्रार्थीगण ने बदनियति से मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध वास्तविक तथ्यों के विपरित, अपूर्ण व अस्पष्ट तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वास्तविक तथ्य यह है कि हाल ख0नं0 202 व हाल ख0नं0 209 के मध्य जो सीमा है वह साबिक नक्शें के अनुसार बिल्कुल सीधी है। इसलिए वर्तमान नक्शें के अनुसार भी प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण से ख0नं0 202 में से कुछ भी भूमि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रार्थीगण को अपनी प्लीडिंग को सत्यापित करते हुए मय शपथ पत्र प्रकरण को प्रस्तुत करना आवश्यक था, लेकिन प्रार्थीगण ने बदनियति पूर्वक जानबुझकर तथ्य छिपाते हुए बिना शपथ पत्र के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, तहसीलदार जवाब, अप्रार्थीगण का जवाब व उभयपक्षकारान की बहस पर मनन व रिकार्ड का अवलोकन किया जिसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थीगण की भू–प्रबंध कार्यवाही के उपरान्त मिलान क्षेत्रफल एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी से साबिक ख0नं0 133 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के मुकाबले हाल ख0नं0 208 / 0.01, 209 / 1.06 है0 रकबा बने है जिसमें 0.49 है0 की कमी होना जाहिर है। किन्तु हाल नक्शें व साबिक नक्शें के सुपर इम्पोज से यह स्पष्ट प्रतीत है कि प्रार्थी की हाल जमाबन्दी अनुसार 0.49 है0 की भूमि की कमी की पूर्ति सम्पूर्ण रूप से ख0नं0 202 से नहीं होती है। इसमें अन्य खसरा नम्बरान में भी भूमि से पूर्ति होती है जिसके लिए प्रार्थी द्वारा संबंधित खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है, न ही उनसे अनुतोष चाहा है। तहसीलदार कोटपूतली की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि मामला रकबा बरारी का है जो बिना मौके की पैमाइश किया जाना संभव नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आदेशित किया जाता है कि वह हाल व साबिक नक्शे के सुपर इम्पोज व रकबा बरारी करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी में जितनी साबिक के मुकाबले हाल कम भूमि ख0नं0 202 में बढ़त हुई है उसे प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर, नक्शें में तरमीम करें। प्रार्थीगण अन्य प्रभावित पडौसी खातेदारान में से घटती भूमि की पूर्ति हेतु सक्षम न्यायालय में पुनः चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। आदेश सुनाया गया।

आज दिनांक **28.11.2019** को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2020.01.22 13:16:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: